

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0—326 / 2018
आर.सी.टी. नं. 306 / 2018
संस्थापन दिनांक—25.06.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

विरुद्ध

.....अभियोगी

सुमेरसिंह पिता गणपतसिंह बुंदेला उम्र 48 वर्ष
निवासी—मेघदूत नगर इंदौर थाना हिरानगर इंदौर,
जिला इंदौर म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 25.06.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त सुमेरसिंह पिता गणपतसिंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 184,185 के अंतर्गत दिनांक 23.06.2018 को 21:00 बजे स्थान— दवाना रोड ठीकरी में वाहन ट्रक क्र. एम.एच. 12 ई.क्यू. 3375 को ऐसे तरिके से चलाया तथा ध्यान में रखते हुये की ऐसा यान चलाया जाना साधारण जनता के लिये खतरनाक है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याक्षा की जा सकती है तथा लोक मार्ग पर शराब पीकर नशे की हालत में चलाया एवं उक्त कारण से अभियुक्त वाहन का नियंत्रण रखने में असमर्थ थे।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 23.06.2018 को वाहन चैकिंग के दौरान वाहन ट्रक क्र. एम.एच. 12 ई. क्यू. 3375 का चालक शराब

निरंतर.....

पीकर लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाया गया। चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम सुमेरसिंह पिता गणपतसिंह होना बताया। मौके पर उक्त वाहन को मय रोल भरा हुआ जप्त कर तथा आरोपी का मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. ठीकरी से कराया गया, जिसमें चालक द्वारा शराब पीना बताया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विधिवत् जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के ईस्तगाशा क्र0 07 / 18 धारा 184,185 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत का तैयार किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी सुमेरसिंह पिता गणपतसिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी सुमेरसिंह पिता गणपतसिंह ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत में उक्त दिनांक को शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाया गया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 184,185 मोटरयान अधिनियम 1988 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 184,185 मोटरयान अधिनियम 1988 के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं क्रमशः रुपये 1000/- एवं 2000/-रुपये इस प्रकार कुल 3000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमश 07 एवं 03 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्ध वाहन ट्रक क्रं. एम.ए. 12 ई.क्यू. 3375 को उसके पंजीकृत स्वामी को वापस वापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0